



पत्रांक : कु0रा10-2 B स0आ10/ 2519 /06-264-प्र.अनु.-2014/2014.

दिनांक : 06 मई, 2014

सेवा में,

प्रबन्धक,  
प्रस्तावित चौधरी कालेज आफ एजुकेशन,  
विशुनपुर, बरवाँ रत्ती पट्टी,  
बलिया ।

विषय:-स्ववित्तापोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुगोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.04.2014 के संदर्भ में सूचित है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अगिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं राहपटित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2 (85)/ 97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के आलोक में स्ववित्तापोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अग्रर्थियों को उनके सम्बन्धित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अगिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उक्तके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अग्रर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुगोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ0 अशोक कुमार	श्री बच्चू लाल पात्र	11.11.1973	पी0एच0डी0	विभागाध्यक्ष बी0एड0
2.	श्री सान्ताप कुमार सिंह	जय प्रवेश सिंह	17.11.1973	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
3.	डॉ0 शिव शंकर सिंह	श्री हेमल सिंह	3.11.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता बी0एड0
4.	डॉ0 विलास देवी	श्री प्रताप सिंह	05.4.1973	पी0एच0डी0	प्रवक्ता बी0एड0
5.	श्री परमाता वर्मा	श्री बख्श वर्मा	12.5.1978	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
6.	श्री शिवेश शुक्ला	श्री राज कुमार शुक्ला	07.7.1983	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
7.	डॉ0 नरेश कुमार	श्री सत्य नारायण शारदा	05.8.1973	पी0एच0डी0	प्रवक्ता बी0एड0
8.	श्री हरमोविन्द सिंह	श्री दीना नाथ सिंह	3.7.1977	नेट	प्रवक्ता बी0एड0

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अग्रर्थी के मूल शैक्षणिक अगिलेख अर्पित देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अग्रर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पारापोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अगिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक का माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा गवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय

डॉ0 (एस0एल0गौथ)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ ।
- परीक्षा नियंत्रक, मा0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।

डॉ0 (एस0एल0गौथ)  
कुलसचिव



पत्रांक कुलस-2 B स030/1247 / 06-264-पअनु-2014-2016/2017,

दिनांक अगस्त, 2017

04 अगस्त 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,  
पोपरी कालेज ऑफ एजुकेशन  
विशुनपुर परमरती पदरी,  
बलिया।

विषय- स्वतंत्रताप्रेमिता योजनाअंतर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा सभाय के अंतर्गत बीएडबि कार्यक्रम में प्रवक्तव्यों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक आपकी पत्र दिनांक 08.09.2016 के सन्दर्भ में सूचित है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपयुक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में प्रथम शक्ति की संस्तुति एवं प्रथम शक्ति की स्वीकृति पर विद्यार्थीसभ कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सतार-2-2000-2(05)/07, दिनांक 09 मई 2000 एवं महापति शासनादेश संख्या-5029/सतार-2-2007-2(85)/07 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सतार-2-2007-2(85)/07 दिनांक 23 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्या-868/सतार-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई 2013 तथा शासनादेश संख्या-1010/10-3-2015-बीएडबि (05)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के अंतर्गत में स्वतंत्रताप्रेमिता योजनाअंतर्गत सहित के अन्तर्गत पर आपोतिवित्त अभियंताओं को उनकी सम्मुखस्थित विवरण के अनुसार धीरे धीरे के लिए नियुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि वे परामर्श अभ्यासी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः विरस्त समझा जायेगा।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	अप्यार कार्ड नं.
1	श्री लखीर कुशर सिंह	श्री छोटी लाल सिंह	16.08.1960	भूगोल	बीएडबि/बीएड / नेट	प्रवक्तव्य बीएडबि	326412605118
2	शुशी दनु	श्री माधवल सिंह	14.08.1984	एंग्लोपूजा	—	प्रवक्तव्य बीएडबि सपीत	860762241932

अतः उपरोक्त को शासनादेश के अंतर्गत में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बंधित अभ्यासी के मूल शैक्षिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सहित प्रपत्र (अभ्यासी एवं प्रबन्धक के स्वतंत्रताप्रेमिता पानपोर्ट सट्टन के पोस्टपाक सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्तव्य को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अभ्यासकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। अभ्यासकों के लिए आकाशवाणी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रवक्तव्य पर महाविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त सहित मनीनीकूल की जा सकती।

महोदय,  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु-

1. वैशिक्षाका सहायक, कुलपति - मात कुलपति जी को सादर सूचनाएं।
2. एनीस विधायक, महापति/काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव